THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VASANT SATHE): (a) No, Sir.

(b) Pesticides being vital agricultural inputs, like Fertilizers, were declared as an essential commodity under the Essential Commodities Act. 1955 in August, 1977.

The increase in prices of pesticides in the past few years do not appear to compare unfavourably with that of prices of Fertilizers during the same period.

(c) and (d) The Bureau of Industrial cost and Prices has been requested to study, *inter alia*, the feasibility of, and the need to introduce, statutory price control on pesticides.

(e) Profits attributable to pesticides production are not at present separately monitored.

Sale Price of Bronko Plus Syrup

1986. DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what are the approved prices and sale prices of Bronko plus syrup, tablets and forte tablets Croysal Injection and Cyloxanide tablets;

(b) who are the manufacturers of these medicines, what are their total sales turn over and profits during the last three years, year-wise; what are the investments on plant and machinery and what are the reasons for keeping high prices of these medicines; and

(c) what steps have been taken to bring down their prices and by when the prices are expected to be brought down?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VASANT SATHE): (a) to (c) The sale prices of the products in question manufactured by M|s. Biddle Sawyer Pvt. Ltd. to the extent available in the Indian Pharmaceutical Guide, 1983 are given in the Statement attached. (*See below*) Show Cause Notice has been issued to the Company for marketing the products without price approval.

M|s. Biddle Sawyer Pvt. Ltd. being a Small Scale Unit, the details regarding investment on plants and Machinery sales turnover are not available with my Ministry.

Statement

Sl.No.	Name of the Formulation and Composition	Pack size	Sale Price (Rs.)
1	Bronkoplus Tablets Each contains:	10's	4·40
	Salbutamol 2mg. Theophyllin Anhydrous 100 mg.	10 10's	44·00
2	Croysal Injection	1 amp.	2·50
	Each 5ml. contains:	10×1 amp.	25·00
	Salbutamol 500 mcg.	25×1 amp.	62·50

अल्कोहल और शीरे का उत्पादन

1987. **श्री मिर्जा ईशादबेग ऐयुबबेग** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री 30 जुलाई, 1984 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 693 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1979–80 में अल्कोहल के उत्पादन की तुलना में 1982–83 में इसका कितना उत्पादन हुआ है ?

(ख) चालू वर्ष के दौरान नवम्बर, 1984 तक अल्कोहल का कितना उत्पादन होने की संभावना है ;

(ग) उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले अल्कोहल पर प्रत्येक राज्य द्वारा कितना उपकर लगाया जाता है और शीरे तथा अल्कोहल पर लगाए जाने वाले उपकर को सम्बद्ध बनाने के लिए क्या कोई कार्यवाही दल नियुक्त किया गया है, यदि हां, तो क्या इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि नहीं, तो इसका प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध हो जाएगा; और

(घ) अल्कोहल और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की क्षमता और उपयोग कितना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अल्कोहल वर्ष 1979-80 के दौरान 3856 लाख लिटर की तुलना में अल्कोहल वर्ष 1982-83 (दिसम्बर, 82 नवम्बर, 83) में अल्कोहल का कुल उत्पादन 5355 लाख लिटर था ।

(ख) वर्ष के आरम्भ में लगाए गए अनुमानों के अनुसार, चालू अल्कोहल वर्ष के दौरान अल्कोहल का उत्पादन 6544 लाख लिटर होने की सम्भावना है ।

(ग) अल्कोहल एवं शीरे पर शुल्क के बारे में कार्यकारी दल 1983 में नियुक्त किया गया था । कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो राज्य सरकारों में परिचालित की जा चुकी है । कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार, 1.1.83 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में लगाए गए शुल्क को दर्शाने वाला विवरणपत्र I संलग्न है । **(नीचे देखिये)**

(घ) मद्यशालाओं एवं अल्कोहल पर आधारित मुख्य उद्योगों की क्षमता उपयोगिता के विवरण (II व III) संलग्न है।

विवरण-I

मुख्य अल्कोहल उत्पादक एवं आयातकर्त्ता राज्यों में उद्ग्रहण (1-1-83 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	राज्य के अन्तर खपत किये गये अल्कोहल पर		अन्य राज्यों को निर्यात किये गये अल्कोहल पर	
	लेवी	दर रु०	लेवी	दर रु०
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	उत्पाद शुल्क	1.00/वी.एल. रेक्टिफाइड अल्कोहल पर	0.15/बी.एल. निर्यात पास शुल्क	रेक्टिफाइड अल्कोहल पर 1.00/वी.एल. डिनेचुरेटेड स्पिरिट
	स्थगित शुल्क बिक्री कर	0.20/वी.एल. डिनेचयुरेटेड स्पिरिट पर 7.7 प्रतिशत		
बिहार	लिटरेज शुल्क	औद्योगिक प्रयोग के लिये डिनेचरड स्पिरिट पर 1.50 प्रतिशत वी.एल. गैर औद्योगिक प्रयोग के लिये 5.00/पी एल (आई.डी.पी एल० के लिये)	निर्यात पास शुल्क (रेक्टिफाइड स्पिरिट)	2/-एल.पी.एल. (रेक्टिफाइड स्पिरिट) 1.50/एस एल. (साधारण) डिनेचुरेटेड स्पिरिट) 0.50/वी.एल. (स्पेशल डिनेचुरेटेड स्पिरिट)

गुजरात**	उत्पाद शुल्क	15.50/पी.एल. (रेक्टिफाइड स्पिरिट)	परिवहन शुल्क	0.22/एल.पी.एल. (रेक्टिफाइड स्पिरिट) 0.22/बी.एल. (डिनेटयूरेटेड स्पिरिट)
	बिक्री कर	10 प्रतिशत + 15 प्रतिशत अधिक शुल्क	विशेष शुल्क	0.05/बी.एल. (स्पेशल डिनेटयूरेटेड स्पिरिट) 0.42/एल.पी.एल. (रेक्टि. स्पिरिट)
हरियाणा	राज्य बिक्री कर*	7 प्रतिशत	निर्यात शुल्क	2/–बी.एल @ (रेक्टि. स्पिरिट) 1/–बी.एल. (डिनेटयूरेटेड स्पिरिट)
	उत्पाद शुल्क	3.50/बी.एल. (रेक्टिफाइड स्पिरिट)		
	मूल्यांकन शुल्क***	2.00/बी.एल. (डिनेट्यूरेटेड स्पिरिट)		
कर्नाटक	उत्पाद शुल्क	0.20/बी एल (रेक्टिफाइड स्पिरिट)	उत्पाद शुल्क	0.20/बी एल० @
मध्य प्रदेश**	परमिट शुल्क	2.50/बी एल (डिनेटयूरेटेड स्पिरिट) 10.25/बी एल (बेसिक ड्रग के निर्माण के लिये)		

@7.3.83 से घटा कर 1 रु० कर दी गयी

* 1–4–83 से 8 प्रतिशत बढ़ा दिया गया।

**सी एम बी की बैठक के पत्रों से प्राप्त सूचना

***17–2–8 से घटा कर 1 रु०/बी एल कर दिया गया

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र . .	बिक्री कर परिवहन फीस	4 प्रतिशत 0.25/बी०एल०	निर्यात शुल्क	0.55/बी०एल०
पंजाब . .	परमिट शुल्क	0.60/बी०एल० (डिनेटयूरेटेड स्पिरिट)	,,	1.00/बी०एल०
राजस्थान	उत्पाद शुल्क	1.40/लिटर (डिनेटयूरेटेड चेडरपिरिट और डिनेटयूरेटेड स्पिरीटियस प्रीपेरेशन)	उत्पाद शुल्क	0.03/बी०एल० (डिनेचरड स्प्रिट उत्पाद 0.25/बी०एल० (उसी मापशाला में तैयार किये जाते हैं।) (डिनेटयुरेटेड स्प्रिट उत्पाद उक्त के अन्तर्गत नहीं आते)
तमिलनाडु. .	उत्पाद शुल्क	0.75 बी.एल.== (रेक्टिफाइड स्पिरिट)	,,	0.50/बी.एल. (रेक्टि. स्पिरिट)
	वैण्ड शुल्क	0.25/बी.एल. (रेक्टिफाइड स्पिरिट) (डिनेटयूरेटेड स्पिरिट***	बैन्ड फी गेलन फी	1.00/बी.एल. (रेक्टि. स्पिरिट) 0.25/बी.एल. (डिनेचयू-रेटिड स्पिरिट)

==15-4-83 से घटा कर 1 रु० कर दिया गया।

***15-4-83 से घटा कर 0.25 दर कर दी गयी।

उत्तर प्रदेश	बैण्ड शुल्क	1.10–वी/एल. 10 लाख लिटर डिनेचरड स्प्रिट से कम के लिये]	निर्यात पास शुल्क डिबेटयूरेटेड 2.00/वी.एल.† स्पिरिट और स्पिरिट डिनेटयूरेटेड प्रथम 10 लाख लिटर पर स्पिरिट
		10 लाख लिटर से अधिक डिनेचरड स्पिरिट के लिये	
	लाइसेंस शुल्क	1.10/वी.एल. डिनेचर्ड स्पिरिट ‖ (एफ एल. 39 लाइसेंस)	1.20/एम.एल. 10.30 लाख लिटर के लिये
		15 प्रतिशत एडवेलोरम (अन्य औद्योगिक एककों के लिये)	1.00/वी एल 30 से 50 लाख लिटर की अधिकता के लिये
	प्रशासनिक प्रभार	रु० 7.50 कि०लि (सिन्थेटिक कैमिकल लि० के लिये)	0.60/बी एल 65 लाख लिटर की अधिकता के लिये
	क्रय टैक्स	0.40/वी एल (10 लाख लिटर तक)	
		0.20/वी. एल (10 लाख लिटर एवं ऊपर)	
	बिक्री कर	26 प्रतिशत	
†16–2–83 से 30–3–83		2/–वी एल० पहले 10 लाख पर	0.55/वी एल 10 लाख से अधिक पर
31–3–83 से 31–7–83		0,55/वी एल पहले 10 लाख पर	0.44/वी एल 10 लाख से अधिक पर

1	2	3	4	5
केरल	उत्पाद शुल्क	15.50/पी एल (रेक्टि स्पिरिट)		
	गैलोज शुल्क	2.50/वी एल (,, ,,)		
	वैन्ड शुल्क	0.50/वी एल (डेन्चयूर्ड स्पिरिट)		
पश्चिम बंगाल	उत्पाद शुल्क	3.75/ अनाई पी लिटर (दवाई एवं सफाई सामग्री हेतु)	पास फी	0.13 से 0.93/वी एल प्रयुक्त उद्देश्य के आधार पर
		5.00/एलपी एल (वैज्ञानिक एंवं खोज उद्देश्यों के लिये)	65 लाख से अधिक की खपत में ग्राहकों के लिये पीटी (1-4-84)	
		रु० 20/- एलपी एल (अन्य उद्देश्यों के लिये)		
	चुगी (केवल कलकत्ता मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिये)	शून्य (डिनेचयूरेटेड स्पिरिट) 0.12/वी एल (रेक्टिफाइड स्पिरिट)		

विवरण–II

मद्यशालाओं की क्षमता उपयोगिता

वर्ष	स्थापित क्षमता	अल्कोहल का उत्पादन	क्षमता उपयोगिता
79–80	798	386	48 प्रतिशत
80–81	858	431	50 प्रतिशत
81–82	908	515	57 प्रतिशत
82–83	1066	536	50 प्रतिशत

विवरण–III

अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के लिए क्षमता उपयोगिता [कैलेण्डर वर्ष]

उत्पाद	1982			1983		
	स्थापित क्षमता	उत्पादन (मी०टन)	क्षमता उपयोगिता प्रतिशत	स्थापित क्षमता	उत्पादन (मी० टन)	क्षमता उपयोगिता प्रतिशत
एसेटिक एसिड	58,500	40,212	69	64,000	47,454	74
एसेटिक एनहाइड्राइड	20,770	10,608	51	22,770	13,632	68
बुटिल एसिटेट	8,730	3,820	44	8,730	4,000*	46
इथाइल एसिटेट	6,398	6,128	96	6,390	5,212	82
मोनोक्लोर एसेटिक एसिड	10,498	5,525	53	10,498	6,000	57
पेण्टेरिथिटोल	1,800	1,724	96	3,600	1,500*	42
डी डी टी	9,888	4,569	50	9,888	6,400	70
बुटानोल	8,250	9,718	118	8,250	9,515	115

*अनुमानित उत्पादन आंकड़े